न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्याः—2015/00337

1. श्रीमती मोहिनीदेवी पत्नी स्व0 लाडपुरी उर्फ छोटूपुरी, जाति गुंवाई, निवासी ग्राम लोरड़ी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर ।

प्रार्थिया

बनाम

1. श्रीमती अनोपी देवी पत्नी सुवापुरी, जाति गुंवाई, निवासी ग्राम लोरड़ी, तह. बिजयनगर/मसूदा, जिला अजमेर ।
2. रामकरण पुत्र हीरालाल,
3. विजयकरण पुत्र हीरालाल,
4. रामप्रकाश पुत्र हीरालाल,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम लोरड़ी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर ।

अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील प्रार्थी ।
2. श्री हंगामीलाल चौधरी, वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4.

निर्णय

दिनांकः— 29.7.2021

1. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
2. विद्वान वकील प्रार्थी ने अवमानना प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात ग्राम लोरड़ी, तहसील बिजयनगर में अवस्थित है जिस बाबत् प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 10/2015 अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 10—2015 अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में पेश किया गया था जो वाद एवं प्रार्थना पत्र आज दिवस तक विचाराधीन होकर नियत है । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी क व आधिपत्य की होकर अविभाजित आराजियात है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वर्तमान अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को अपने विधिक हक, अधिकार के विपरीत जरिये पंजीकृत विक्रय दिनांक 27.1.2015 द्वारा विक्रय कर दी गई । उक्त विक्रय के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा संयुक्त रूप से एकराय होकर बिना विधिक विभाजन कराये संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की भूमि के विशेष भू—भाग पर कब्जा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । प्रार्थिया द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 75/2015 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.3.2015

के तहत विवादित भूमियों के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की गई है जो आज भी विचाराधीन है । हाजा न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 17.3.2015 के प्रभावित रहते दिनांक 1.6.2015 को जबरन स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए ट्रेक्टर इत्यादि चलाकर विवादित भूमि पर कब्जा किये जाने का असफल प्रयास किया जिस पर प्रार्थिया द्वारा दिनांक 1.6.2015 को पुलिस थाना बिजयनगर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई परन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नही होने से दिनांक 17.6.2015 को पुनः श्री प्रकाश पुत्र रामेश्वर कुमावत का ट्रेक्टर साथ लाकर अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से जबरन विवादित भूमियों पर कब्जा एवं काश्त किये जाने की बदनियतिपूर्वक काश्त करना प्रारंभ कर दिया । इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की अवहेलना की गई है । ऐसी स्थिति में विवादित भूमियों के सरंक्षण व माननीय न्यायालय के आदेश के प्रभाव को बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को आर्थिक दण्ड व सिविल कारावास से दण्डित किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आर्थिक दण्ड व सिविल कारावास से दण्डित किया जावे ।

3. विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि सहखातेदारान द्वज्ञरा अपनी सहखातेदारी की आराजी पर अपने हक, हिस्सेनुसार मन बटनी से बांट कर अपने हिस्सेनुसार काबिज है और काबिज खातेदीार अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हक हिस्से की आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.1.2015 द्वारा अप्रार्थीगण को बेचान कर कब्जा सौंप दिया है तब से अप्रार्थीगण अपनी क्रयशुदा आराजी पर बतौर सहखातेदार काबिज है । अप्रार्थीगण ने हाजा न्यायालय के आदेश के तहत विवादित आराजियात के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत् बना रखी है । अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते है और प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज है और अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये है । अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं की गई है । अतः प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज किया जावे ।

4. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थिया का कथन है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 71/2015 बउनवान मोहनी देवी बनाम श्रीमती अनोप देवी में पारित आदेश दिनांक 17.3.2015 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का निस्तारण इस न्यायालय के आदेश से एक माह में करे तब तक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 में अंकित विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे । इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.3.2015 की अवहेलना कर विवादित आराजियात अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.1.2015 द्वारा विक्रय कर दिया है । अप्रार्थी संख्या 2 लगयात 4 उक्त विक्रय पत्र के आधार पर बिना विधिक विभाजन कराये संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की भूमियों के विशेष भू–भाग पर कब्जा करने पर आमादा है । पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.1.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती अनोपी देवी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को विवादित आराजियात में अपना हक व हिस्सा का बेचान किया है किन्तु विशेष भू–भाग का बेचान किये जाने संबंधी कोई अंकन विक्रय पत्र में नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजियात का रिकार्डेड सहखातेदार है जिसे अपने हिस्से की आराजी को विक्रय करने का विधिक अधिकार है । प्रार्थी

का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा बिना विधिक विभाजन कराये आराजियात के विशेष भू–भाग पर कब्जा काश्त करने का प्रयास किया जा रहा है इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई किन्तु प्रार्थी द्वारा इस संबंध में एफ0आई0आर0 की प्रति पेश नहीं की है ना ही उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में केतागण के नाम दर्ज किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 का कथन रहा है कि सहखातेदारान द्वारा अपनी सहखातेदारी आराजी पर अपने हक, हिस्सेनुसार मन बटनी से बांट कर काबिज है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.3.2015 के तहत खातेदारों ने विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत् बना रखी है । प्रार्थिया दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना की जाकर विवादित भूमि के विशेष भाग पर कब्जा किया गया हो अथवा राजस्व रिकार्ड में विक्रय के आधार पर कोई फेरबदल किया गया हो । प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज योग्य पाया जाता है ।

5. अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

6. निर्णय आज दिनांक 29.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर